Note for Pad

Name of the Institution:- The Haryana State Co-operative Apex Bank Ltd;

Information required in connection with the starred Assembly question raised by Assandh MLA:

Question (a) The District- wise number of staff required in the Co-operative Banks of State as on Feb, 2023 together with the details thereof;

Sanctioned posts-4608

In position -741

Vacant posts-3867

District-wise details regarding number of staff required is appended at

Annexure 'A'

Question (b) The total number of posts out of the sanctioned post lying vacant in the Cooperative Banks of State as on Feb, 2023 together with the time by which the said posts are likely to be filled along with the details thereof

Sanctioned posts- 593

In position -211(3 posts are in diminishing cadre but presently in position)

Vacant posts-385

Against an advertisement published on 14.08.2019 for recruitment at various levels in Harco Bank and DCCBs, a Civil Writ Petition was filed in the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and the Hon'ble High Court in its interim order dated 24.09.2019 restrained the respondents i.e. State of Haryana and others, from carrying out any further action purportedly in terms of advertisement and fixed the next date of hearing on 05.12.2019.

On 05.12.2019, the Hon'ble High Court modified its previous orders dated 24.09.2019 to the extent that it would apply only to the Faridabad Central Coop. Bank Ltd., Faridabad. Though the restriction imposed by the Hon'ble High Court regarding recruitment to the various posts was only regarding Faridabad Central Coop. Bank as per orders dated 5.12.2019 yet the Bank decided to conduct the examination for the recruitment to the post of Assistant Manager/ Development Officer only as the same is of the cadre of Harco Bank and wait for the final orders for other posts.

Though, the final orders in this regard are yet to come and the next date of hearing in the matter is 07.08.2023 but due to constantly decreasing number of staff in Harco bank as well as the District Central Cooperative Banks in the State it has been decided to reinitiate the process of recruitment.

Nevertheless, the examination to the post of Assistant Manager / Development Officer was conducted by the bank through Institute of Banking Personnel Selection

(IBPS) in February, 2020, and 69 candidates were declared eligible for the second round which is the interview, against 30 vacant posts. Since, due to Covid-19 the process for recruitment came to a halt, Harco Bank has now initiated for resumption of the process and accordingly the matter was placed before Board of Directors of the Bank has resolved to authorize the Managing Director for taking necessary steps for conducting the interview.

For the purpose, a fresh panel of experts to be part of the interview committee is being sought from Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) which will in turn be placed before the committee already constituted comprising of following officers by the Government for further constitution of panels to conduct interviews.-

1 Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Cooperation Department- Chairman

- 2 Registrar, Cooperative Societies, Haryana- Member
- 3 Managing Director, Haryana State Cooperative Apex Bank Ltd; Harco Bank, Chandigarh Member
- 4 Representative, National Bank for Agriculture and Rule Development Bank (NABARD), Regional Office, Haryana. -Member

NOTE FOR PAD OF HSCARDB

The Bank was set up on 1st Nov.1966 under the Punjab Cooperative Societies Act, 1961 (replaced by Haryana Cooperative Societies Act, 1984) in the name and style of the Haryana State Cooperative Land Mortgage Bank Limited. The nomenclature of the bank was changed to the Haryana State Cooperative Land Development Bank Limited in the year 1974 and thereafter the nomenclature of the bank was changed to The Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Ltd; (HSCARDB). At the time of establishment of the bank, there were only seven PCARDBs in the State, now there are 19 District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) with 70 branches at Tehsil and Sub-Tehsil level.

The main objective of the Bank is purveyance of Long Term Credit to the agriculturists through its 19 District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) and their branches under various Agriculture and its allied activities along with NFS purposes. HSCARDB acts as an Apex Institution both for providing long term finance and for coordinating the functions of DPCARDBs and their branches. The District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) in the State have provided Long Term Credit amounting to Rs.7179.98 Crores to beneficiaries up to 31.03.2022 since the inception of the Bank. The Bank is providing loan to the farmers @ 12.50 simple rate of interest annually. The State Govt. is providing the 50% interest subvention to the farmers who are paying their dues regularly and the effective rate of interest to the farmer is 6.25% which is only in the State of Haryana. The Bank is not availing the refinance from NABARD since 2018 and financing to the farmers at its own resources from the recovered amount of ultimate borrowers. The Bank has made all the outstanding amount of NABARD and at present there is not outstanding amount of NABARD towards the Bank. The Bank is financing the farmers under the various agriculture & non-agriculture schemes i.e. Horticulture, Farm Mechanisation, Underground Pipelines, Minor Irrigation, Dairy Development, Poultry Farming, Fish Farming, Land levelling, Rural Housing Scheme, Agriculture Implements, Purchase of Land and other manufacturing units under Non Farm Sector. The recovery position of last three years of District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) is as under:

-	(Rs.	in	crores)
•	TED.		CI OI CB /

Period (from 1st July to 30th June)	Demand	Collection	% of recovery
2019-20	2068.23	456.96	22.09
2020-21	2012.54	211.31	10.50
2021-22	2307.80	235.57	10.21

There are 2031 number of sanctioned posts in the Bank against which 568 posts are filled up and 1463 posts are lying vacant as on 01.02.2023. The last recruitment of staff for 94 posts of LVOs and 48 posts of Clerks was made in the year 2008 through HSSC, since then, no recruitment has been made in the Bank. Since 2011 due to poor recoveries of loans from ultimate borrowers/farmers and

huge annual liabilities towards NABARD, the Bank had to avail Financial Assistance from the State Govt. in the shape of Loans and Grant-in-Aid. At the beginning of year 2012, there were 1424 numbers of filled up posts of various cadres in the Bank and total liabilities of the Bank towards NABARD was Rs.1975.64 Crores and Loan Outstanding was Rs.2099.66 Crores against 199975 loanee members. In a series of meetings to carry out the restructuring of the Bank, it was decided to send excess staff on deputation to various cooperative institutions and resultantly, the Bank sent 41 number of employees to various Boards/Corporations to curtail Establishment Expenses of the Bank. In the year 2018 it was decided by the Government that "no further recruitment should be done qua vacancies resulting out of retirement or any other vacant post that may be available" in HSCARDB. Presently, an amount of Rs.1050.08 Crores is outstanding against 75476 number of loanee members and accumulated loss of the Bank is Rs.415.50 Crores.

Keeping in view of present level of business and weak financial position of the Bank, there is no proposal of the Bank to go for fresh recruitment.

नोट फॉर पैड

संस्थान का नाम: - हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड। असंध विधायक द्वारा उठाए गए तारांकित विधानसभा प्रश्न के संबंध में आवश्यक जानकारी:-

प्रश्न (क) फरवरी 2023 तक राज्य के जिला सहकारी बैंकों में आवश्यक कर्मचारियों की जिला-वार संख्या और उसका विवरण

स्वीकृत पद – 4608 स्थिति में – 741 रिक्त पद – 3867

आवश्यक कर्मचारियों की संख्या के संबंध में जिलेवार विवरण अनुलग्नक क' में संलग्न है।

प्रश्न (ख) राज्य के सहकारी बैंकों में फरवरी, 2023 तक स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है तथा उनका विवरण क्या है?

स्वीकृत पद - 593 वर्तमान स्थिति - 211 (3 पद ह्रासमान संवर्ग में हैं और वर्तमान में स्थिति में है)

हरको बैंक और जिला केंद्रिय सहकारी बैंको में विभिन्न स्तरों पर भर्ती के लिए 14.08.2019 को प्रकाशित विज्ञापन के खिलाफ, पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 में उत्तरदाताओं यानी हरियाणा राज्य और अन्य को विज्ञापन के संदर्भ में आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया और सुनवाई की अगली तारीख 05.12.2019 तय की।

05.12.2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों दिनांक 24.09.2019 को इस हद तक संशोधित किया कि यह केवल फरीदाबाद जिला केंद्रिय सहकारी बँक फरीदाबाद लिमिटेड, फरीदाबाद पर लागू होगा। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में लगाया गया प्रतिबंध केवल फरीदाबाद जिला केंद्रिय सहकारी बैंक के संबंध में था, फिर भी बैंक ने सहायक प्रबंधक / विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया क्योंकि वही हरको बैंक के समान संवर्ग का है और अन्य पदों के लिए अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करता है।

हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम आदेश आना बाकी है और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 07.08.2023 निर्धारित की गई है, लेकिन हरको बैंक के साथ-साथ राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की लगातार घटती संख्या के कारण भर्ती की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।

फिर भी फरवरी, 2020 में, सहायक प्रबंधक / विकास अधिकारी के पद के लिए परीक्षा, बैंक द्वारा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के माध्यम से आयोजित की गई थी और 69 उम्मीदवारों को दूसरे दौर के लिए पात्र घोषित किया गया था, जो कि 30 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार हेतु योग्य है। चूंकि, कोविड-19 के कारण भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी, हरको बैंक ने अब प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए पहल की है और तदनुसार मामले को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है और साक्षात्कार आयोजित करने के लिए और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत करने का फैसला लिया है।

इस उद्देश्य के लिए, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) से साक्षात्कार सिमिति का हिस्सा बनने के लिए विशेषज्ञों का एक नया पैनल मांगा जा रहा है, जिसे बाद में साक्षात्कार आयोजित करने के लिए पैनल के गठन के लिए सरकार द्वारा निम्न अधिकारीयों की गठित सिमिति के समक्ष रखा जायेगा ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा, सहकारिता विभाग- अध्यक्ष

- 2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा- सदस्य
- 3. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, हरको बैंक, चंडीगढ सदस्य
- 4. प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कृषि बैंक और नियम विकास बैंक (नाबार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा।-सदस्य

एच एस सी ए आर डी बी के लिए नोट फॉर पैड

बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड के नाम और शैली में की गई थी। वर्ष 1974 में बैंक का नामकरण बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया और उसके बाद बैंक का नामकरण बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया (एचएससीएआरडीबी)। बैंक की स्थापना के समय, राज्य में केवल सात पीसीएआरडीबी थे, अब तहसील और उप-तहसील स्तर पर 70 शाखाओं के साथ 19 जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (डीपीसीएआरडीबी) हैं।

बैंक का मुख्य उद्देश्य अपने 19 जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ((DPCARDB) और उनकी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ गैर कृषि क्षेत्र उद्देश्यों के लिए कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। एचएससीएआरडी बैंक दीर्घावधि वित्त प्रदान करने और डीपीसीएआरडीबी और उनकी शाखाओं के कार्यों के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। राज्य में जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने बैंक की स्थापना के बाद से 31.03.2022 तक 1175874 लाभार्थियों को 7179.98 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया है। बैंक किसानों को सालाना 12.50 साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार नियमित रूप से अपने बकाया का भुगतान करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान कर रहा है और किसान को प्रभावी ब्याज दर 6.25 प्रतिशत है जो केवल हरियाणा राज्य में है। बैंक 2018 से नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर रहा है और अंतिम उधारकर्ताओं की वसूली की गई राशि से अपने स्वयं के संसाधनों पर किसानों को वित्तपोषण कर रहा है। बैंक ने नाबार्ड की सभी बकाया राशि अदा कर दी है और वर्तमान में बैंक की ओर नाबार्ड की कोई राशि बकाया नहीं है। बैंक विभिन्न कृषि और गैर-कृषि योजनाओं के तहत किसानों को वित्तपोषित कर रहा है, जैसे बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, भूमिगत पाइपलाइन, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मछली पालन, भूमि समतलीकरण, ग्रामीण आवास योजना, कृषि उपकरण, भूमि की खरीद और गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अन्य निर्माण इकाइयां। जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (DPCARDBS) की पिछले तीन वर्षों की वस्ली स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए करोड में)

अवधि (1 जुलाई से 30 जून तक)	माँग	संग्रह	वसूली का%
2019-20	2068.23	456.96	22.09%
2020-21	2012.54	211.31	10.50%
2021-22	2307.80	235.57	10.21%

बैंक में दिनांक 01.02.2023 को 2031 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 568 पद भरे हुए तथा 1463 पद रिक्त हैं। वर्ष 2008 में एचएसएससी के माध्यम से एलवीओ के 94 पदों और क्लर्क के

48 पदों के लिए कर्मचारियों की अंतिम बार वर्ष 2008 में एचएसएससी के माध्यम से भर्ती की गई थी, उसके बाद से बैंक में कोई भर्ती नहीं की गई है। 2011 से अंतिम उधारकर्ताओं/किसानों से ऋण की कम वसूली और नाबार्ड के प्रति भारी वार्षिक देनदारियों के कारण, बैंक को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता ऋण एवं सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करनी पड़ी। वर्ष 2012 की शुरुआत में, बैंक में कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के 1424 पद भरे हुए थे और नाबार्ड के प्रति बैंक की कुल देनदारियां 1975.64 करोड़ रुपये थीं और 199975 कर्जदार सदस्यों पर बकाया ऋण 2099.66 करोड़ रुपये था। बैंक के पुनर्गठन के लिए बैठकों की श्रृंखला में, यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त कर्मचारियों को विभिन्न सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए और इसके परिणामस्वरूप, बैंक के स्थापना व्यय को कम करने के लिए बैंक ने 41 कर्मचारियों को विभिन्न बोर्डों/निगमों में भेजा। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि HSCARDB में "सेवानिवृत्ति या कोई अन्य रिक्त पद जो उपलब्ध हो सकता है" के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियों के आधार पर कोई और भर्ती नहीं की जानी चाहिए। वर्तमान में, 75476 ऋणी सदस्यों के विरूद्ध 1050.08 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और बैंक की संचित हानि 415.50 करोड़ रुपये है।

बैंक के व्यवसाय के वर्तमान स्तर और कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक के स्तर पर नई भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
